डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation, University
उत्तर प्रदेश सरकार,लखनऊ
मोहान रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226 017
दूरभाष संख्या 0522–2999862,63,2998380,81,82
वेबसाइट : http://dsmru.up.nic.in

SCHEDULE-B

मेस संचालन हेतु निविदा–प्रपत्र

विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित मेस संचालन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 10.01.2017 को अपराह्न 2:00 बजे तक, जिन्हें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में मेस चलाने का अनुभव हो, उनसे मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी तिथि को अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के तृतीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र के लिफाफे के ऊपर ''मेस संचालन हेतु निविदा'' लिखना आवश्यक हैं निविदा प्रपत्र के साथ पुरूष छात्रावास हेतु अर्नेस्ट मनी निर्धारित धनराशि रू0 50,000/– मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो कि 'वित्त अधिकारी, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के पक्ष में देय हो, के रूप में निविदा पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक हैं जिसके अभाव में प्राप्त निविदा पर विचार करना संभव नही होगा। निविदा प्रपत्र मात्र कैशियर के कैश काउन्टर से धनराशि रू0 2000.00 नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट **http://dsmru.up.nic.in** से डाउनलोड कर रू0 2000/– के बैंक ड्राफ्ट सहित जो वित्त अधिकारी, डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के पक्ष में लखनऊ में देय हो, बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा। अपेक्षित नियम एवं शर्तें निविदा–पत्र के साथ संलग्न है। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dsmru.up.nic.in पर उपलब्ध है।

निविदा–प्रपत्र का विवरण

1. आवेदक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पता :
4. ट्रेड टैक्स नं0. : वैधता की अवधि :
5. टैन नं0/पैन नं0 :
6. खाद्य विभाग का पंजीकरण नं0 : वैधता की अवधि :
7. निविदा पत्र क्रय करने सम्बन्धी प्राप्त रसीद का विवरण :

   बैक का नाम ....ड्राफ्ट सं0 व तिथि .... धनराशि...

   बुक सं0 क्रम सं0 रू0 दिनांक
   (एक प्रति संलग्न करें)
8. धरोहर धनरशि जमा करने का विवरण :
   बैक का नाम ....ड्राफ्ट सं0 व तिथि .... धनराशि...

   बुक सं0 क्रम सं0 रू0 दिनांक
   (एक प्रति संलग्न करें)
9. इस निविदा के साथ संलग्न नियम शर्तें पूर्ण रूप से स्वीकार है निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्यादेश प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर अनुबन्ध पत्र सम्पादित कर आपूर्ति/संचालन का कार्य समय से प्रारम्भ करूँगा।

आवेदक का नाम एवं पता आवेदक के हस्ताक्षर :
दूर भाष नं0 पैन नं0

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation, University
उत्तर प्रदेश सरकार,लखनऊ
मोहान रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226 017
दूरभाष संख्या 0522–2999862,63,2998380,81,82
वेबसाइट : http://dsmru.up.nic.in

SCHEDULE-C-I

डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

पुरूष छात्रावास हेतु वित्तीय प्रस्ताव
(पृथक लिफाफे में प्रेषित किया जायें)

PRICE QUOTED FOR-----------------MESS

S.No.	Item Vegetarian Meal	Quoted price payable in Rs. Including material, cooking and all services charges for unlimited serving per day based on sample menu as schedule E
1	Break Fast	
2	Lunch	
3	Evening Tea	
4	Dinner	
	Total	

Note: Rates quoted should be inclusive of all taxes/ levis etc. and should be valid up to one year from the date of tender.

I hereby agree to provide and serve the items mentioned in schedule D as per the rates quoted by me/negotiated as per the terms and conditions.

Name & signature of the Bidder :---

Date :---

Place :--

Address with phone nos. :--

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation, University
उत्तर प्रदेश सरकार,लखनऊ
मोहान रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226 017
दूरभाष संख्या 0522—2999862,63,2998380,81,82
वेबसाइट : http://dsmru.up.nic.in

SCHEDULE-D

विश्वविद्यालय में मेस संचालन हेतु नियम एवं शर्तें

1. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित पुरूष छात्रावास हेतु मेस संचालन हेतु रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) की अलग से अर्नेस्ट मनी के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। जिसका बैंक ड्राफ्ट ''वित्त अधिकारी, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के नाम मान्य होगा। **अर्नेस्ट मनी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।**

2. ''केवल वही ठेकेदार निविदा में हिस्सा ले सकेंगे जो कि खाद्य विभाग एवं व्यापार कर विभाग में पंजीकृत हो जिससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उनकी निविदा पर विचार करना संभव नहीं होगा।''

3. फर्म को कार्य करने के लिए रू0 100/— के गैर—न्यायिक स्टाम्प पर विश्वविद्यालय एवं ठेकेदार के बीच अनुबन्ध कराया जायेगा।

4. फर्म द्वारा अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुसार गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराना होगा। ठेकेदार द्वारा मेस समिति/अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट/छात्रावास अधिकारी द्वारा निर्धारित गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ एवं स्वच्छ सामग्रियाँ उपलब्ध करायी जायेंगी। अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट के सुझावों निर्देशों के अनुसार ठेकेदार सम्पूर्ण मेस परसिर की (किचिन, डाईनिंग हॉल वाश एरिया एवं वाश रूम) सफाई पर विशेष ध्यान देगा तथा इस पर जो व्यय होगा वह फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। संतोषजनक सफाई न होने पर अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट/मेस समिति/छात्रावास अधिकारी उचित दण्ड की अनुशंसा करेगी।

5. ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन अप्रयुक्त/अवशेष भोजन सामग्री का उचित स्थान पर निस्तारण (डिस्पोजल) प्रतिदिन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार के भुगतान से उचित दण्ड की कटौती की जायेगी।

6. विश्वविद्यालय फर्म को खाना बनाने के लिए रसोई घर के लिए जगह, डाइनिंग हॉल, बिजली एवं पानी की आपूर्ति उपलब्ध करायेगा। यदि उपलब्ध कराये गये जगह एवं अन्य किसी सामग्री की टूट—फूट होती है तो अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट की संस्तुति के अनुसार दण्डित की गयी धनराशि की कटौती फर्म को दिये जाने वाले भुगतान से कर ली जायेगी।

7. चयनित फर्म द्वारा विश्वविद्यालय स्तर से उपलब्ध कराये गये फर्नीचर वाटर कूलर, पलम्बरिंग (टोटी आदि) एवं विद्युत उपकरण (लाईट, पंखा इत्यादि) की मरम्मत फर्म द्वारा स्वयं के स्तर से कराया जाना होगा।

8. यदि फर्म पानी अथवा बिजली का दुरूपयोग करता है तो उसको अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट की संस्तुति पर दण्ड के रूप में 5000/— जुर्माना लगाया जायेगा। वह केवल खाना बनाने अथवा कार्य के समय तक ही उक्त का उपयोग करेगा अन्यथा की स्थिति मे फर्म द्वारा उसका अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से मेस में हीटर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

9. मेस समिति/अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट/संबंधित अधिकारी को यह अधिकार रहेगा कि यदि वह चाहे तो उससे पहले भी मेन्यू में परिवर्तन कर सकती है। मेन्यू का नमूना साथ में संलग्न है। संलग्नक E

10. यह ठेका एक वर्ष अथवा विशेष परिस्थितियों में कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में कार्य संतोषजनक होने पर अग्रिम आदेश तक के लिये मान्य होगा, तथा ठेकेदार को इन्हीं शर्तों पर कार्य करने की बाध्यता होगी।

11 ठेकेदार को भोजन सर्व करने हेतु 20 दिव्यांग छात्रों पर कम से कम एक अटेंडेंट/मेस वर्कर रखना होगा। जो डाइनिंग टेबल के पास रहकर अपना कार्यों का संचालन करेगा। साथ ही मेस के सुचारू से संचालन हेतु एक मेस मैनेजर, भी रखना आवश्यक है। मेस में सिर्फ पुरूष वर्कर, होंगे, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पुरूष छात्रावास में कोई भी महिला वर्कर से कार्य नहीं लिया जायेगा।

12. ठेकेदार स्वयं एवं मेस वर्करों का चरित्र प्रमाण–पत्र एवं पुलिस वैरीफिकेशन/प्रमाणीकरण कराकर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाता द्वारा अपने प्रत्येक कर्मचारी को एक फोटोयुक्त पहचान पत्र मात्र डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में कार्य करने हेतु निर्गत किया जायेगा।

13. सफल निविदादाता द्वारा मेस के प्रयोगार्थं हेतु आने वाले समस्त उपकरण/मशीन व स्वचालित उपकरणों जैसे Ben Marry, Potato Peeler, Aata Needing Machine, Wet Crinder, Deep Freezer आदि उपकरणों/मशीनों को मेस संचालन करने से पूर्व स्थापित करना होगा। उक्त के अभाव में सफल निविदादाता का टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा साथ ही जमा की गयी जमानत धनराशि रूपया भी जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में सूचीबद्ध कर दिया जायेगा।

14. ठेकेदार एवं मेस वर्करों का कार्य एवं व्यवहार छात्रों, अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट एवं सम्बन्धित कर्मचारियों के प्रति संतोषजनक न होने पर किसी भी समय बीच में ठेका समाप्त किया जा सकता हैं जिसके लिए ठेकेदार को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

15. यदि कोई विद्यार्थी दो दिन से अधिक अवकाश पर रहने की सूचना सक्षम स्तर पर देकर जाता है तो ऐसी स्थिति में अवकाश के दिनों का भुगतान न तो विद्यार्थी द्वारा और न ही विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, इस संबंध में मेस ठेकेदार द्वारा किसी भी भुगतान का दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे समस्त विद्यार्थी जो बिना किसी सूचना के विश्वविद्यालय से दो से अधिक दिनों तक अनुपस्थित रहते है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी एवं विश्वविद्यालय द्वारा मात्र दो दिवसों का ही भुगतान किया जायेगा।

16. मेस ठेकेदार के व्यवहार/सफाई/खाने की गुणवत्ता एवं अन्य किसी संबंध में मेस समिति/अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट/संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह में तीन बार लिखित शिकायत किये जाने के बावजूद अगर ठेकेदार द्वारा शिकायतों का उचित निराकरण नहीं किये जाने पर माह के अन्त में किये जाने वाले बिल भुगतान में से 2 प्रतिशत धनराशि की कटौती की जायेगी।

17. यदि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो एक सप्ताह की नोटिस देकर उसका ठेका निरस्त करते हुए जमानत के तौर पर जमा सुरक्षा धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।

18. मेस ठेकेदार को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं स्वच्छता बनाऐ रखने का उत्तरदायित्व होगा। ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री अस्वच्छ एवं असुरक्षित होने तथा अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट/मेस समिति /छात्रावास अधिकारी द्वारा गुणवत्ता के अनुरूप न होने की संस्तुति करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा एक सप्ताह की नोटिस के साथ ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। मेस समिति/अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट द्वारा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुति अन्तिम एवं मान्य होगी।

19. ठेकेदार द्वारा रसोई घर एवं खाद्य सामग्री की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा प्रयोग में लाये जाने वाले समस्त सामग्री सब्जियाँ एवं मसाले अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए एवं साफ, ताजा, एवं स्वच्छ खाना ही सर्व किया जायेगा। किसी भी प्रकार का पका हुआ खाना सुरक्षित

उत्तर प्रदेश सरकार,लखनऊ
मोहान रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226 017
दूरभाष संख्या 0522–2999862,63,2998380,81,82
वेबसाइट : http://dsmru.up.nic.in

करके नहीं रखा जायेगा और न ही उसको दोबारा खाने में प्रयोग में लाया जायेगा। मेस ठेकेदार स्वच्छ पानी का प्रयोग करेगा।

20. यदि ठेकेदार मेस समिति अथवा अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट के निर्देशो/सुझावों को पालन नहीं करता है तो यह नियम एवं शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिए ठेकदार को आर्थिक रूप से दण्डित भी किया जायेगा।

21. ठेकेदार द्वारा रसोई घर में लगाये गये वर्कर एवं कुक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उनका जिला अस्पताल से नियमित रूप से चेक–अप कराया जायेगा। यदि कोई भी वर्कर शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसको कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उसके स्थान पर कोई अन्य वर्कर की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा तुरन्त की जायेगी।

22. ठेकेदार द्वारा मेस के वर्करों को यूनीफार्म दी जायेगी जो निम्नवत् होगी :–

(क) मेस के वर्कर हेतु शर्ट एवं ट्राउजर।

(ख) खाना बनाते समय कुक के लिए अपरन एवं टोपी।

(ग) मेस के मैनेजर एवं सुपरवाइजर हेतु सफेद शर्ट एवं ट्राउजर।

23. संलग्न मेन्यू को सीजनल सब्जियों तथा मार्केट में उपलब्धता के दृष्टिगत मेस समिति/ अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट/संबंधित अधिकारी ठेकेदार के साथ बातचीत कर परिवर्तित किया जा सकता है।

24. मेस में चाय/स्वल्पहार/भोजन आदि देने का समय निम्नवत् होगा :–

Break Fast	07:30 am to 09:30 am
Lunch	12:30 noon to 2:30 pm
Evening Tea	05:00 pm to 06:00pm
Dinner	07:30 pm to 09:30 pm

यदि किसी कारणवश उपर्युक्त समय सारिणी का परिवर्तित करना पड़ा तो उक्त परिवर्तन मेस समिति/अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट/छात्रावास अधिकारी के सुझाव के अनुसार होगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।

25. छात्रावास में बीमार पड़ने वाले छात्र के लिए मेस ठेकेदार ''सिक डाइट'' उनके कक्ष में उपलब्ध करायेंगे। यदि बीमार छात्र विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती है तो भोजन स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंचाना भी ठेकेदार का दायित्व होगा, जिसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा। ''सिक डाइट'' मेस समिति/चिकित्सक/अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

26. अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट की अनुमति के बिना किसी छात्र के कमरे में खाद्य एवं अन्य सामग्री नहीं भेजी जायेगी।

27. विश्वविद्यालय द्वारा में एक मुश्त मासिक भुगतान के लिए पत्रावली व्यवहरित की जायेगी, जो कि मेस समिति/अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट/संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत होनी चाहिए। साथ ही फर्म द्वारा भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने के उपरान्त विश्वविद्यालय प्रत्येक माह के 07 कार्य दिवस तक भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

28. प्रत्येक भोजन के बाद मेस एवं बर्तनों को गर्म पानी तथा डिटर्जेन्ट/साबुन से साफ करना अनिवार्य होगा।

29. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/सरकारी स्तर की संस्था में 200 से अधिक को मेस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के कार्य का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

30. ठेकेदार को अपने द्वारा लगाये गये समस्त कर्मचारियों/मेस वर्करों का विवरण फोटोग्राफ सहित छात्रावास के आफिस में भी जमा करना होगा।

31. यदि ठेकेदार द्वारा लगाये गये किसी भी मेस वर्कर/कर्मचारी के साथ दुर्घटना के कारण चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। ऐसे प्रकरण में छात्रावास तथा विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

32. मेस में फूड प्वाइजनिंग सम्बन्धी कोई भी घटना घटती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा मेडिकल ट्रीटमेंट में हुआ खर्च सम्बन्धित मेस ठेकेदार से वसूला जायेगा साथ ही ऐसी घटना हेतु मेस समिति/अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट द्वारा ठेकेदार पर जुर्माना किया जायेगा।

33. ठेकेदार ऐसे कर्मचारी को कार्य करने हेतु नही रखेगा जिसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और उसके विरूद्ध कोई भी पुलिस केस चल रहा हो।

34. मेस में शराब या कोई भी मादक पदार्थ के साथ—साथ मांसहारी भोजन बनना/खाना पूर्ण रूप से निषिद्ध होगा।

35. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में श्रम विभाग/शसन के नियमों का पालन करना होगा। यदि उक्त हेतु कोई आपत्ति श्रम विभाग/शासन से उठायी जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

36. नियम एवं शर्तों के अनुपालन हेतु ठेकेदार को विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

37. कुलपति को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी निविदा अथवा निविदाओं को बिना किसी कारण के किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

38. किसी भी दशा में उक्त ठेका किसी अन्य पार्टी अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

39. प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री ब्रॉण्डेड एवं गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, जिसमें कुछ निम्नलिखित है :—

(i) मक्खन (अमूल/मदर डेरी/पराग)।

(ii) जैम (किसान/टॉप्स/सफल)।

(iii) रिफाइन्ड तेल (धारा/सनड्रॉप/फारच्यून/नेचरफ्रेस और अन्य प्रतिष्ठित ब्राण्ड जो कि एगमार्क द्वारा प्रमाणित हो)।

(iv) चावल अच्छी गुणवत्ता वाला जो कि मेस समिति/अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(v) गेहूं का आटा जो कि मेस समिति/अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(vi) चाय ब्राण्डेड होनी चाहिए ब्रुकब्रॉन्ड,लिप्टन, टाटा गोल्ड आदि जो कि समिति/अतिरिक्त चीफ प्रवोष्ट/प्रवोष्ट द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(vii) केचअप तथा अचार (टॉप्स/किसान)।

(viii) दूध (पराग/अमूल/मदर डेरी)।

(ix) आयोडीनयुक्त नमक तथा मसाला एवरेस्ट, अशोक एम0डी0एच0 आदि।

(x) बेसन (राजधानी / शक्तिभोग) तथा अन्य प्रतिष्ठित ब्राण्ड जो कि एगमार्क द्वारा प्रमाणित हों।

40. ठेके की दरों का प्रथम बार में ही स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। दरों के संदर्भ में अतिरिक्त कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

41. किसी भी वाद / विवाद की स्थिति में कुलपति, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ का निर्णय अन्तिम होगा।

42. ठेके पर निर्धारित समय के मध्य विचलन / छोड़ने पर सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी साथ ही निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

43. निविदा दो बिड सिस्टम के आधार पर होंगी– (i) Technical bid (ii)Financial bid
Technical bid की अर्हता पूर्ण करने वाली एजेन्सियों के Financial bid पर विचार किया जायेगा। दोनो प्रकार की बिडो को अलग–अलग लिफाफों मे रखकर ही प्रस्तुत करना होगा। संलग्न मेन्यू के अनुसार, फर्म अपने लेटर पैड पर भोजन इत्यादि की मासिक दरें (समस्त करों सहित) सील्ड लिफाफे में अलग से प्रस्तुत करेंगे।

44 **अनुबन्धः–** चयनित फर्म / एजेन्सी से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अलग से अनुबन्ध किया जायेगा जिसकी शर्ते फर्म / एजेन्सी को मान्य होगी।

45 सफल निविदादाता को 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) सिक्योरिटी मनी पुरूष छात्रावास हेतु अलग जमा करानी होगी।

46. सफल निविदादाता द्वारा पुरूष छात्रावास हेतु एक बार में अधिकतम 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन रसोई घर में बनाया जायेगा।

कुलसचिव,
डा0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
मोहान रोड, लखनऊ

प्रमाण–पत्र

मैंने सभी शर्तों एवं नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है तथा उसका पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षरः
फर्म का नामः–
पताः
फोन नं0 / मोबाइल नं0ः–

निविदादाता के हस्ताक्षर
मुहर सहित
मो0 नं0–
पूरा पताः–

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation, University
उत्तर प्रदेश सरकार,लखनऊ
मोहान रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226 017
दूरभाष संख्या 0522—2999862,63,2998380,81,82
वेबसाइट : http://dsmru.up.nic.in

संलग्नक–E

सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने वाले नाशते एवं भोजन की तालिका

दिन	ब्रेकफास्ट	लंच	इवनिंग टी	डिनर
प्रतिदिन	150मिली. दूध	रोटी, चावल, सलाद	चाय	रोटी, चावल, सलाद
सेमवार	पोहा (प्याज, टमाटर, नींबू युक्त+सूजी हलवा)	राजमा + सीजनल सब्जी	प्याज की पकौड़ी	मिक्स दाल, सीजनल सब्जी + फ्रूट क्रीम
मंगलवार	02 केला+ 10ग्राम मक्खन 04 स्लाइ ब्रेड के साथ	दाल + सीजनल सब्जी	मठरी	आलू टमाटर, कद्दू, खीर
बुधवार	सांभर बड़ा	दाल मखानी + सीजनल सब्जी	बिस्कुट 04 पीस (बटर बाइट)	पनीर + सीजनल सब्जी + मक्खन रोटी
गुरूवार	आलू बण्डा 02 पीस + 04 स्लाइस ब्रेड चटनी सहित	कढ़ी पकौड़ी +आलू जीरा	नमकपारा	आलू कटहल+सीजनल सब्जी
शुक्रवार	मसाला पूड़ी 05 पीस, आलू बेसन के	दाल फ्राई सीजनल सब्जी	जीरा 02 पीस	छोला भठूरा, रायता, अचार + गुलाब जामुन
शनिवार	आलू की कचौड़ी, रायता चटनी, अचार	पंचमेल दाल + सीजनल सब्जी	समोसा 02 पीस	दाल + सीजनल सब्जी + खीर
रविवार	पूड़ी + आलू की सब्जी	तहरी, दही, पापड़, चटनी	आलू पकौड़ी चटनी	पनीर/बेबी कॉर्न पालक/अण्डा करी/मिक्स वेज/स्वीट बटर रोटी

SCHEDULE-F

Prequalification and professional evaluation details

Part- I General Details

Sl.No.	Item Details	Response
1	Name& Address of the Bidder& Firm	
2	Contact Phone Numbers	
3	Type of Organization/ Enterprise of Bidder	
4	Registration Details Authority Reg. No. Date	
5	PAN Card No.	
6	Service Tax No. & details	
7	EMD Details	

All the above details must to be filled by the Contractor; otherwise the tender will be rejected.

(Signature of the Bidder)

Name :--

Date :---

Place :---

Stamp & Seal

मोहान रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226 017
दूरभाष संख्या 0522–2999862,63,2998380,81,82
वेबसाइट : http://dsmru.up.nic.in

PART-II : Professional Details

S. No.		Provide Information as required
1.	**Experience: Mess/Canteen/Guest**	
2.	Please state type of food supply/catering works carried out in last three years including daily persons served per day etc. (Attach order copies/certificates from the clients of such work) Use extra sheet if required	
3.	Total turnover in last three years including current works (attach IT returns for last three years)	
4.	Staff Available (in numbers) **Managers, Cook, Helpers.**	
5.	Give details of termination of any of the Previous contracts (if any)	
6.	Give references where you are currently providing such services including address, phone number, email address and fax number	

(i) All the above details must to be filled by the Contractor; otherwise the tender will be rejected.

All above claims must be supported with relevant documents

Bidders will be technically qualified based on the following criteria

(1) Part I and II of Schedule **F** are to be filled with relevant details.

(2) Satisfactory visit report by Committee to contractor's site, if felt necessary.

(3) Satisfactory feedback received from reference quoted above & other sites on which Contractor has worked, if felt necessary.

Date (Signature of the Bidder)

Name :----------------------------

Place :

Stamp & Seal

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation, University
उत्तर प्रदेश सरकार,लखनऊ
मोहान रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226 017
दूरभाष संख्या 0522–2999862,63,2998380,81,82
वेबसाइट : http://dsmru.up.nic.in

डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
मोहान रोड, लखनऊ–226017
दूरभाष न0–0522–2998380/81/82 बेबसाइट:http://dsmru.up.nic.in

अल्पकालीन निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में संचालित पुरूष छात्रावास में आवासित विकलांग/सामान्य छात्रों के लिए मेस संचालन हेतु अर्ह फर्मों से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदाऐं दिनांक 10.01.2017 को अपराह्न 2:00 बजे तक कुलसचिव कार्यालय के कक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में जमा की जा सकती है एवं प्राप्त निविदाऐं तद्दिनांक अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय के कैशियर से धनराशि रू0 2000/– नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट **http://dsmru.up.nic.in** से डाउनलोड कर रू0 2000/– के बैंक ड्राफ्ट सहित जो वित्त अधिकारी, डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के पक्ष में लखनऊ में देय हो, बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा।(फार्म शुल्क वापस नही किया जायेगा।)निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कुलसचिव।

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation, University
उत्तर प्रदेश सरकार,लखनऊ
मोहान रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226 017
दूरभाष संख्या 0522—2999862,63,2998380,81,82
वेबसाइट : http://dsmru.up.nic.in

SCHEDULE-F

डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्तीय प्रस्ताव—2
(पृथक लिफाफे में प्रेषित किया जायें)

विश्वविद्यालय में समय—समय आयोजित समारोह/बैंठक एवं साक्षात्कार हेतु भोजन व्यवस्था—:

क्र0 सं0	विशिष्ट भोजन व्यवस्था	विशिष्ट भोजन व्यवस्था हेतु समस्त करयुक्त दर।
01	दाल, पनीर सब्जी, सीजनल सब्जी, फ्रूट, रायता, जूस, मिनरल वाटर, मिठाई, पुलाव/चावल, रोटी, सलाद।	
	Total	
क्र0 सं0	**सामान्य भोजन व्यवस्था**	**सामान्य भोजन व्यवस्था हेतु समस्त करयुक्त दर।**
01	दाल, सूखी सब्जी, पुलाव/चावल, रोटी, रायता, मिठाई, सलाद एव मिनरल वाटर, ।	
	Total	

Note: Rates quoted should be inclusive of all taxes/ levis etc. and should be valid up to one year from the date of tender.